न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/116

महावीर प्रसाद दत्तक पुत्र कल्याण महाजन निवासी कोडसुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवराज पुत्र श्री बिरधा जाति बलाई निवासी नई बस्ती पुलिया रामदेवजी के मंदिर के पास कोडसुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. हंसराज पुत्र श्री बरधा बलाई, ए.ई.एन. मकान नम्बर सी–163, पॉवर हाउस के पास, सकतपुरा, कोटा ।
3. बाली बाई धर्मपत्नी श्री प्रभूलाल बलाई निवासी नई बस्ती पुलिया के पास रामदेव जी के मंदिर के पास कोडसुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राममूर्ति पत्नी श्री बाबूलाल मेघवाल निवासी मोरपा डाहरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. संजू बाई पत्नी श्री लालचन्द मेघवाल निवासी खेडा रसूलपुर स्कूल के पास, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/212

महावीर प्रसाद दत्तक पुत्र कल्याण महाजन निवासी कोडसुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बिरधा आत्मज औंकार बलाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. देवराज पुत्र श्री बिरधा आयु 40 वर्ष ।
   1/2. हंसराज पुत्र श्री बरधा आयु 35 वर्ष ।
   1/3. बाली बाई पुत्री श्री बिरधा आयु 50 वर्ष ।
   1/4. राममूर्ति बाई पुत्री श्री बिरधा आयु 43 वर्ष ।
   1/5. संजू बाई पुत्री श्री बिरधा आयु 30 वर्ष ।
   1/6. शांति बाई बेवा श्री बिरधा आयु 72 वर्ष जाति बलाई निवासीगण कोटसुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 17/212 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 एवं अपील संख्या 17/116 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी की होने से तथा समान ही पक्षकारान होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में सलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 17/212 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि मृतक बिरधा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत ग्राम कोटसुआ की आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 598 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 07 किता की कुल रकबा 1.78 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 महावीर के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.05.2002 के द्वारा वादी वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी महावीर ने अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश कर एक तरफा निर्णय दिनांक 16.05.2002 को सेट असाइड करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.07.2016 के द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट महावीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज कर दिया ।

6. अपील संख्या 17/116 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम कोटसुआ की आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करने एवं जबरन कब्जा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवदीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णयों से व्यथित होकर अपीलान्ट महावीर ने न्यायालय हाजा में दोनों अलग–अलग अपीलान्ट पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिनांक को लोक अदालत में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिये जिसकी अपीलान्ट को समय पर जानकारी नहीं हुई। उक्त अपीलाधीन निर्णयों की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.02.2017 को वकीलों की हडताल समाप्त होने पर जानकारी की तो जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णयों की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपील संख्या 17/212 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्टगण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा डिक्री पारित की गई थी । इस डिक्री को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत पेश किया था । जिसे लोक अदालत में बिना पक्षकारों के राजीनामा के बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना खारिज किया गया है । पक्षकारों की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.05.2002 को जो डिक्री पारित की गई है वो कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध पारित की गई है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । इस कारण डिक्री प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है । दूसरे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है । बिना कब्जे की शहादत लिये और बिना जवाबदावा लिये निर्णय पारित किया गया है । अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में सीजे (सिविल) 2017 (3) (राज0) पेज 1665, एआईआर 2011 (एससी) पेज 09, आरआरटी 2016 (2) पेज 971, आरआरटी 2016 (2) पेज 791 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का दावा था जिसमें रेस्पोडेन्टगण को खातेदारी अधिकार

प्रदान किये गये हैं । डिक्री होने के 08 वर्ष बाद आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पक्षकारान के द्वारा शिविर में प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति दी गई थी । आदेशिका को सही माना जावेगा । दूसरा दावा रेस्पोडेन्ट का स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसे लोक अदालत में डिक्री किया गया है । चूँकि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं है । दोनों अपीलें खारिज होने योग्य है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर (एससी) 1957 पेज 882, 1999 (1) आरएलएलए पेज 11, 2009 एआईआर (राज0) पेज 57, 2015 (4) डीएनजे पेज 1696, 2008 (1) एससीसी पेज 338, 2011 एआईआर (एससी) पेज 1150, 2011 एआईआर (एससी) पेज 1237, 2014 (1) एससीसी (सिविल) पेज 113 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्रों में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अपील संख्या 17/212 में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2002 को प्रतिवादी अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा निर्णय पारित किया गया है वं वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ दिनांक 03.05.2002 को एक तरफा कार्यवाही की गई थी और दिनांक 16.05.2002 को एक तरफा डिक्री पारित की गई है जिसके अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया गया है । अपीलान्ट ने दिनांक 19.05.2010 को इस एकतरफा डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत पेश किया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.04.2010 को हुई है ।

15. अपील संख्या 17/116 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्ट के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण की ओर से देवराज, हंसराज, बाली बाई, शांतिबाई, राममूर्ति बाई एवं संजू बाई और प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज की गई है और आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि उभय पक्षकारान ने शिविर में निस्तारण हेतु सहमति व्यक्त की है । अपीलान्ट का यह कथन है कि प्रतिवादी द्वारा हाजरी के हस्ताक्षर किये गये थे । पत्रावली पर किसी प्रकार का राजीनामा भी संलग्न नहीं है और लोक अदालत में ही गुणावगुण के आधार पर दावे का निस्तारण करते हुए दावा डिक्री किया गया है।

16. जहॉ तक अपील संख्या 17/116 का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है और लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणवगुण के आधार पर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पत्रावली पर वादीगण की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है जो शामिल पत्रावली की

गई है । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभय पक्ष ने विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है । विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने एआईआर 1957 (एससी) पेज 882 उद्धरत की है जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी के स्टेटमेंट को सही स्वीकार किया जाना चाहिए । इस नजीर के क्रम में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उभय पक्ष द्वारा शिविर में निरस्तारण हेतु सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर करने का उल्लेख किया है परन्तु किसी प्रकार का राजीनामा पेश किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । जब तक पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया जाता है तब तक बिना सीपीसी की पालना किये दावे का निस्तारण नहीं किया जा सकता ।

17. अपील संख्या 17/212 से सम्बन्धित पत्रावली का निस्तारण भी लोक अदालत में किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को खारिज किया गया है । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक का यह कथन है कि अधीनस्थ का निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत है इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिए था । विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जो नजीर उद्धरत की गई है वो मुख्य रूप से विलम्ब का शमन नहीं किये जाने से सम्बन्धित है । यह सही है कि आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया है परन्तु निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2002 में कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आरआरटी 2016 (1) पेज 719 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

18. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है इसको खारिज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती हैं । हम प्रस्तुत प्रकरण में न्यायहित में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाना उचित समझते हैं । वैसे भी यह प्रकरण अपील संख्या 17/116 से सम्बन्धित है और दोनों प्रकरणों को एक साथ निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । एआईआर 2016 पेज 09 भी यहॉ चस्पा होती है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/116 एवं अपील संख्या 17/212 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2016 प्रकरण संख्या 179/14 व निर्णय दिनांक 08.07.2016 प्रकरण संख्या 12/10 निरस्त किये जाते हैं । दोनों प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट से दोनों प्रकरणो में जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.01.2019 को उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा